फर्द अहकाम

C.N. 98/2017

शेवणसिंह बनाम जोरासिंह

7/12/2019 पत्रावली पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के वकील की बहस सुनी गई दिनांक 15/11/2019 को।

प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र के तथ्य को दोहराते हुए निवेदन किया की ग्राम अलमास पटवार क्षेत्र चौसला तहसील अराई के खसरा नं 141 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा पर प्रार्थीगण के पिताजी का विगत 60-70 वर्ष से कब्जा काश्त चला आ रहा है उनके फौत के बाद प्रार्थी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर रहे है यह कब्जा खसरा गिरदावरी से साबित होता है उक्त आराजी को असामाजीक माफियो द्वारा खुर्द-बुर्द करने की मंशा है अत: अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपखंड महोदय अराई को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त विवादित आराजी का बेचान हस्तान्तरण न किया जावे।

प्रार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई:

1. Board of Revenue Babu @ Sheodayal & ors. Vs. Sheokaran & ors

Petition is in possession since long. His possession is said to be based on unregistered document. This aspect is to be decided by court. Till so far he is in possession and balance of convenience is in his favour - Petition should not be disturbed

2. 2019 DNJ (SC) 148 Poona Ram V/S Moti Ram (D) Thro' LR's & ors

Settled possession means such possession over the property which has existed for a sufficiently long period of time and has been acquiesced to by the true owner

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के वकील ने अपनी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं उनके परिवार का कब्जा है। अप्रार्थी जोर सिंह ने अपने जीवनकाल में वसीयत की थी जिसके आधार पर नामांतकरण की संबंधित कार्यवाही तहसीलदार अरांई में चलाई गई थी एवं दिनांक 13/6/2017 को आदेश किया था कि अप्रार्थी संख्या 2, 3 व उनके परिजनों के नाम नामांतकरण किया जाये। अतः प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारीज किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी को प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति सिद्ध करना होता है। वाद में documentary evidence की एक अहम भूमिका है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं संलग्न किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके की उक्त अराजी पर उनका कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2019.12.02 18:59:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: